

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 14015/16/2010-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिक्षयत तथा पेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

नई दिल्ली; दिनांक : 28 जून, 2011

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार चयन सूची वर्ष 2009क (वर्ष 2009 की रिकियों के लिए राज्य सरकार के परामर्श से) द्वारा निर्धारित की गई रिकियों के स्थान पर नागालैण्ड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को परिवीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा(संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत नागालैण्ड संवर्ग आवंटित करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1	एन. हेंगसिंग (अनुसूचित जनजाति)

१२-८  
(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)